

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (338) आकाशिक/अनु/2003/309/8

दिनांक:- 16/11/2011

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2011-12 से पूर्व में आवधिक कार्यों/विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

क्र. सं.	पत्रा. सं.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय/संकाय
1	338	जे. आर. महाविद्यालय	रत्नगंगा, राजसमन्द जिला-राजसमन्द	मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर	पूर्व आवधिक विषय/संकाय एवं नवीन संकाय बी.कॉम में एबीएसटी, ईएलएस, गिज एंड

नोट:- संस्था 8 माह में सम्बन्धित विश्वविद्यालय से शैक्षणिक सत्र के अनुमोदन पत्र प्राप्त कर सलग्न करे।

- संबन्धित विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा।
- संस्था महाविद्यालय में अनुमोदन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं ध्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
- राज्य सरकार संस्था को मान्यता व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
- संस्था को समय-2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/निदेशालय कालेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- संस्था द्वारा राजस्थान में सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी।
- संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनका विरुद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है।
- संस्था को प्रत्येक सत्र मौकम से कम एक बार निदेशालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
- संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
- विधि महाविद्यालयों को यू.जी.आई. के नियमों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
- प्रति वर्ष निदेशालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर निदेशालय को भेजेगी।

निदेशक

कालेज शिक्षा राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासक सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, राजसमन्द।
5. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. कुल सचिव, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
7. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
8. सांख्यिकी शाखा, निदेशालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. शिक्षित पत्रावली।

संयुक्त-निदेशक (अनुदान)